राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1643/2014.............................. जिला ....अलवर...

उनवान : मैसर्स रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स (प्रा0) लिमिटेड अलवर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर

(2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
09/10/2014	पत्रावली पेश हुई।	

अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या 25/सीएसटी/2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.6.2014 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 1,80,76,117/– की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को आंशिक स्वीकार किया है।

अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विवेक सिंघल एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि अपीलार्थी का अधिकांश व्यापार राज्य के बाहर होता है, अतः राज्य के बाहर के व्यवहारियों से घोषणा–पत्र प्राप्त करने में समय लग जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने हेतु वांछित समय प्रदान किया जावे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बकाया घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर मांग सृजित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक राशि का स्थगन आदेश जारी किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः प्रकरण में बकाया वसूलनीय राशि रूपये 41,29,116/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया जावे।

लगातार..........2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1643 / 2014.............................. जिला ....अलवर...

उनवान : मैसर्स रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स (प्रा0) लिमिटेड अलवर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर

(2) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, विशेष वृत, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9 / 10 / 2014	प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना**, प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 41,29,116 /–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 9.10.2014 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	